Publications	Editions	Published On
Dainik Navjoyti	Ajmer	19-08-2020

RSWM Limited
an LNJ Bhilwara Group Company

आर एस डब्लू एम लिमिटेड

सीआईएन: L17115RJ1960PLC008216

पंजीकृत कार्यालयः खारीग्राम, पोस्ट गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा-311021, राजस्थान

फोन: +91-1483-223144 से 223150, 223478, फैक्स: +91-1483-223361, 223479

कॉर्पोरेट कार्यालय : भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर-1, नोएडा-201301 (उ.प्र.)

फोन: +91-120-4390300 (EPABX), फैक्स: +91-120-4277841

ईमेल: rswm.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: http://www.rswm.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनो के माध्यम से आयोजित होने वाली 59वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आरएसडब्ल्यूएम लिमिटेड ("कम्पनी") की 59वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 को 2:00 बजे अपराह्न में 59वीं एजीएम की आहूत सूचना में निहित साधारण एवं विशेष व्यवसायों के सम्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। उक्त बैठक का स्थान खारीग्राम, पी.ओ. गुलाबपुरा – 311 021, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान माना जाएगा।

सदस्य ध्यान दें कि कोविड–19 की वजह से देश में व्याप्त महामारी के कारण असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र संख्य 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020 के साथ पठित परिपत्र संख्या 14/2020 एवं परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020 एवं 13 अप्रैल 2020 क्रमशः, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांकित 12 मई 2020 (सामूहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित) के हवाले से कैलेंडर वर्ष 2020 में कंपनियों के एजीएम का आयोजन, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से करने की अनुमति दी है। तदनुसार, कम्पनी का 59वीं एजीएम लागू परिपत्रों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। अतेव, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते एवं भाग ले सकते हैं। एजीएम में सम्मिलित होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, लागू परिपत्रों के अनुपालन में, कम्पनी की 59वीं एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा जाएगा जिनका ईमेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ पंजीकृत हैं। पूर्वोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.rswm.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कराने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

वे सदस्य, जिनका ईमेल पता कम्पनी के साथ या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के पास पंजीकृत नहीं है, उनसे अनुरोध है कि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत करें:

क. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने फोलियो नंबर, पूर्ण पते, पंजीकृत करने वाले ईमेल पते के साथ पैन की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति और सदस्य के पंजीकृत पते के समर्थन में कोई भी दस्तावेज (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक विवरण, आधार आदि) का उल्लेख करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति rswm.investor@lnjbhilwara.com या admin@mcsregistrars.com पर ईमेल द्वारा और/या एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली – 110020 को पत्र द्वारा भेजें।

ख. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी/ओं के माध्यम से अपना ईमेल पता अपडेट करें।

कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर ट्रांसफर पुस्तकें, एजीएम के उद्देश्य से, शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 से बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी एजीएम में संपादित किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस प्रयोजन के लिए, कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग की सुविधा हेतु की अधिकृत एजेंसी के तौर पर व्यवस्था की है।

रिमोट ई–वोटिंग की अवधि सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 (सुबह 9:00 बजे भारतीय मानक समय) से आरंभ होगी और बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 (शाम 5:00 बजे भारतीय मानक समय) समाप्त होगी। 17 सितम्बर, 2020 की कट–ऑफ तारीख के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके उपरान्त ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, एजीएम दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थियों के रजिस्टर में, कट–ऑफ तिथि अर्थात् 17 सितम्बर, 2020 के अनुसार, दर्ज हो, मात्र वे ही रिमोट ई–वोटिंग या वार्षिक आम बैठक में वोट करने का पात्र होगा। डीमैटेरियलाइज्ड तौर पर, भौतिक तौर पर शेयर रखने वाले सदस्यों एवं जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, हेतु ई–वोटिंग की प्रणाली एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी। ई–मतदान के लिए लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा।

उपरोक्त जानकारी कम्पनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र (एस) के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेश से
कृते **आर एस डब्लू एम लिमिटेड**

सुरेन्दर गुप्ता
कम्पनी सचिव
एफसीएस–2615

स्थान : नोएडा (उ.प्र.)
दिनांक : 18 अगस्त, 2020